

प्रेस नोट दिनांक-26.03.2023

(1). दिनांक-10.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला एवं जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद द्वारा जिला कारागार चित्रकूट की आकस्मिक चेकिंग की गयी थी, जिसमें कारागार में निरूद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उसकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अन्दर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के सहयोग से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 88/2023 धारा 387,222,186,506,201,120(बी), 195(ए),34 आईपीसी, 42बी,54 प्रिजनर्स व 7 सीएलए एक्ट, 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कर निखत बानो पत्नी अब्बास अंसारी एवं उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्तों के मुख्य सहयोगी फराज खान एवं नवनीत सचान सहित नामजद अभियुक्त अशोक कुमार सागर (जेल अधीक्षक), संतोष कुमार (जेलर), चन्द्रकला (डिप्टी जेलर) व जगमोहन (जेल वार्डर) को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

उपरोक्त मुकदमा की विवेचना के क्रम में एक और नई बात प्रकाश में आयी है कि जो रूपये कैटीन कॉन्ट्रेक्टर नवनीत सचान के खाते में अब्बास अंसारी के कहने पर डाले गये थे उनसे एक अन्य अभियुक्त शहबाज आलम की खोज की गयी है, जो वाराणसी में एक सी0ए0 के कार्यालय में कार्यरत है एवं उसके द्वारा 02 बैनामी खाता ऑपरेट किये जा रहे है। इन खातों में पिछले 06 माह में क्रमशः 92 लाख और 87 लाख के ट्रांजिक्शन हुए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शहबाज आलम के द्वारा बताया गया है कि अब्बास अंसारी के गुर्गे उनको कैश पहुंचाते है एवं किस खाते में पैसा डालना है उसकी डिटेल् भी पहुंचाते है, जिसके उपरांत मेरे द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की जाती है। इन बैनामी खातों के अतिरिक्त कुछ शैल कम्पनियां भी पायी गयी है जिनमें कैश जमा करके उनको अपराधिक गतिविधियों हेतु घुमाया जाता है। यह गिरोह जनपद मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी अब्बास अंसारी के लिए का कार्य करता है। पूछताछ में इन पैसों का उपयोग जेल अधिकारियों को नगद और उपहार के जरिए लालच देकर अपने लिए जेल में अवैध सुविधाएं इकट्ठा करना, वकीलों और दलालों को अपने मुकदमों की पैरवी के पैसे देना तथा अन्य अवैध कार्यों में खर्च करने की बात सामने आई है। इस धन के लेन देन का जिम्मा नियाज और उसके कुछ सहयोगियों के माध्यम से होता था। इतनी बड़ी धनराशि के ट्रांजैक्शन से अवैध स्रोतों से कमाई के आरोपों को पुष्टिकारक बल मिला है, जिसके बारे में गहराई से जांच जारी है। इसमें आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय से भी मदद ली जाएगी। इन दोनो ही खातों को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अभियुक्त शाहबाज आलम पुत्र शाहिद आलम निवासी S6/76 बी अर्दली बाजार थाना कैण्ट जनपद वाराणसी प्रकाश में आया है जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
3. आरक्षी रोहित सिंह
4. आरक्षी पीयूष शरण श्रीवास्तव

(2). आज दिनांक-26.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 26.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आज दिनांक-26.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरियो (चौकीदारों) को एक-एक नई साइकिल वितरित की गयी। जिसमें थाना क्षेत्र के ग्राम सिरावलमाफी, रीठी, मलवारा, आजादपुरवा विलासपुरवा, हटवारा, रमपुरिया पतेरी, कस्बा राजापुर, अमान के ग्राम प्रहरी मौजूद रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 3183/2009 धारा 380 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त चुनवाद उर्फ मनोहर पुत्र रामजीवन निवासी दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना भरतकूप
2. आरक्षी अजीजुद्दीन

(ii). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 66/2013 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिरोमणि पुत्र मैकू निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा
2. मुख्य आरक्षी मुस्तकीम खां

(iii). उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 358/2019 के वारण्टी अभियुक्त शिवचरण पुत्र राम अवतार एवं सूरज पुत्र ननकू उर्फ मैयादीन निवासीगण गड़रियनपुरवा बगरेही थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट तथा परिवाद संख्या 189/2019 के वारण्टी अभियुक्त रविशंकर उपाध्याय पुत्र बद्रीविशाल निवासी भुजौलीमाफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(iv). उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 63/2010 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बउवा पुत्र महाराजदीन निवासी हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी गनीवा श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2. आरक्षी अशोक पाल

(v). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा एनसीआर नं0 74/2013 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त नथिया पत्नी सुकरू व कमलेश उर्फ बुद्दे पुत्र सुकरू निवासीगण चौगलिया बाजार सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 275/2016 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना पुत्र गया प्रसाद निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. महिला आरक्षी श्रुति कीर्ती
3. आरक्षी शुभम शर्मा
4. आरक्षी अनुज यादव